

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
30प्र0, लखनऊ।
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : ०१ जून 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-935/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 09 जून, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-संतकीय नगर की न0प0, हरिहरपुर की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के अन्तर्गत कुल 08 परियोजनाओं के लिए बजट में प्राविधानित धनराशि से शासनादेश संख्या-93/2172/69-1-2014-8(अ0स0-37)/2014, दिनांक 14 नवम्बर, 2014 द्वारा रु0 258.13 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु0 129.065 लाख की धनराशि प्रथम किशत के रूप में जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि रु0 129.065 लाख (रूपये एक करोड़ उनतीस लाख छ: हजार पाँच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी रवीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की

मीमांपाई/मी अनुल

विशिष्टियों, भानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय नियासियों को भिल सके।

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/नद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमत्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अन्वान फेदा जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/बैंक/इपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर अपर्याप्ततानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजन की जनजाऊं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी रूप से सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणार्वों का घठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजन के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा संचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नतन कार्यक्रम विभाग, उ० प्र० शासन के प्रतिहस्ताकारोपरान्त किया जायेगा।
13. भल्यैक आरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन वो वापस करनी होगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहोस्ता जी जायेगी, जितनी ३१ मार्च, २०१६ तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
Chh
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-558/2015/1520(1)/69-1-2015, तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं ग्रीष्मी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, संतकबीर नगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-५५१/2015/1520/69-1-2015-08(असं-३७)/2014 दिनांक ०१ जून, 2015 का
संलग्नक।

पुलाई

(घनराशि लाख रुपये में)					
क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृति योग्य घनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	संतकबीर नगर	न०प०, हरिहरपुर	सूर्यनगर में सलीम के घर से अस्तिजद होते हुये अस्कर के घर तक मार्ग पर ५० वाल, इण्टरलाकिंग रोड नाली निर्माण कार्य।	31.60	15.80
2.	संतकबीर नगर	न०प०, हरिहरपुर	गांधीनगर में बाबुलाला, जाहिद आदि के घर मार्ग पर रिटेनिंग वाल, नाली इण्टरलाकिंग रोड उच्चीकरण कार्य।	31.82	15.91
3.	संतकबीर नगर	न०प०, हरिहरपुर	वाई नं० ५ में मुख्य रोड से मुस्लिम टोला मार्ग पर रिटेनिंग वाल, इण्टरलाकिंग रोड, क्रासिंग, उच्चीकरण कार्य।	32.50	16.25
4.	संतकबीर नगर	न०प०, हरिहरपुर	वाई नं० ०१ मुख्य मार्ग से असालता, अद्वासे, टीन मोहम्मद के घर मार्ग पर रिटेनिंग वाल, क्रासिंग, नाली इण्टरलाकिंग रोड, उच्चीकरण कार्य।	32.91	16.455
5.	संतकबीर नगर	न०प०, हरिहरपुर	दर्जीटोला में हमीद के घर मार्ग पर इण्टरलाकिंग रोड क्रासिंग, नाली का निर्माण कार्य।	31.40	15.70
6.	संतकबीर नगर	न०प०, हरिहरपुर	अंसारटोला मुख्य मार्ग से आसमोहम्मद, लव्दलाल, इस्माईल आदि के घर मार्ग पर रिटेनिंग वाल, क्रासिंग, नाली इण्टरलाकिंग रोड, उच्चीकरण कार्य।	33.07	16.535
7.	संतकबीर नगर	न०प०, हरिहरपुर	इन्द्रिया नगर में रंगरेजमजरा में इस्माइल, ताज मोहम्मद, तुनिया, राधे, चियरु आदि के घर मार्ग पर रिटेनिंग वाल, क्रासिंग, नाली इण्टरलाकिंग रोड, उच्चीकरण वार्ड।	33.45	16.725
8.	संतकबीर नगर	न०प०, हरिहरपुर	पूरब टोला, धुनियाटोला में मस्तिजद आजम, हसनटीन, मु० हुसैन, रफीक, कतारू के मकान मार्ग पर रिटेनिंग वाल, नाली इण्टरलाकिंग रोड, उच्चीकरण कार्य।	31.38	15.69
शोषण				258.13	129.065
(रुपये एक करोड़ उनतीस लाख छ. हजार पाँच सौ मात्र)					

hash
(एच०पी० सिंह)

विशेष सचिव।